राजस्थान सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं मजिस्ट्रेट, रूपनगढ़ (अजमेर)

राजस्व वाद संख्या 15/22 दायर दिनांक 10.05.2022

पीठासीन अधिकारी–श्री भंवरलाल जनागल, आर.ए.एस.

1. मदनलाल पुत्र रामकरण जाति भांभी नि0 ग्राम थल तहसील रूपनगढ़

––प्रार्थी

बनाम

1. राज्य सरकार जरिये तहसीलदार, रूपनगढ जिला अजमेर राजस्थान।

–अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 रा0भू–राज0अधि0 1956

निर्णय दिनांक 22.6.2022

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी की एकल कब्जे काश्त खातेदारी की कृषि आराजी ग्राम थल, भू–अ0नि0 क्षेत्र थल, तहसील रूपनगढ़ के खाता संख्या 356 के ख0न0 422 रकवा 0.8494 है0 भूमि अवस्थित है। जिसमें प्रार्थी का हिस्सा सम्पूर्ण है। उक्त सम्पूर्ण कृषि भूमि राजस्व रिकार्ड अनुसार प्रार्थी के नाम एकल कब्जे काश्त एवं खातेदारी में दर्ज हैं। प्रार्थी की एकल खातेदारी की कृषि भूमि पर प्रार्थी मौके पर काबिज काश्त करता चला आ रहा हैं तथा प्रार्थी की उक्त भूमि में किसी भी प्रकार से कोई हक व हिस्सा या दखल नहीं है। उक्त खसरा नम्वर की भूमि का राजस्व नक्शा ट्रेस में तरमीम होने के बावजूद प्रार्थी व पडौसी खातेदारान के मध्य नींव, सींव को लेकर भविष्य में विवाद उत्पन्न ना हो इसलिए प्रार्थी की उक्त खसरा नम्वर की भूमि की पत्थरगढ़ी किया जाना आवश्यक है। प्रार्थी निर्बाध रूप से अपनी कृषि आराजी पर काविज काश्त करता चला आ रहा हैं तथा प्रार्थी को अपने खेतों में भूमि की बुवाई, जुताई, बिजाई, निराई–गुडाई,जोत करने तथा नींव, मेड़ को लेकर आपत्ति एवं बाधा रूकावट पैदा ना हो इसलिए पत्थरगढ़ी करवाना चाहता हैं। इसलिए प्रार्थी द्वारा माननीय न्यायालय के समक्ष प्रार्थना–पत्र पेश करना आवश्यक हुआ हैं।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी की तलबी जरिये नोटिस की गई। अप्रार्थी का नोटिस तामिलशुदा प्राप्त। अप्रार्थी (तहसीलदार रूपनगढ़) की ओर से प्रकरण में जवाब पेश किया गया। तदनुसार ग्राम की थल की अंतिम चौसाला आधार संवत् 2075 (वर्ष 2019) से स्थायी के खाता 356 के ख0न0 422 रकबा 0.8494 है0 हिस्सा सम्पूर्ण प्रार्थी मदनलाल पुत्र रामकरण जाति भांभी सा0 देह खातेदार के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। प्रकरण में किसी तरह का कोई राजहित प्रभावित नहीं होना जाहिर किया गया। वकील प्रार्थी की बहस सुनी गयी।

हमने पत्रावली का अध्ययन, अवलोकन किया एवं बहस पर मनन किया। तदनुसार प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर ग्राम थल के खाता संख्या 356 के ख0न0 422 रकबा 0.8494 है0 भूमि के पडौसी खातेदारो को सूचित करते हुये उनकी उपस्थिति में पत्थरगढ़ी करने के आदेश दिये जाते है। इस हेतु तहसीलदार रूपनगढ़ को कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। कमिश्नर शुल्क की राशि रूपये 1000/– अक्षरे एक हजार रूपये मात्र नियत की जाती है। जिसका मौके पर भुगतान हो। पत्थरगढ़ी शुल्क की राशि रूपये 100/– अक्षरे एक सौ रूप्ये मात्र जरिये चालान जमा होने पर आदेश जारी हो।

निर्णय लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया एवं शामिल पत्रावली किया गया।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रूपनगढ़ (अजमेर)

उपखण्ड अधिकारी
रूपनगढ़ (अजमेर)